सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट् याचिका संख्या 72(एस0/बी0)/2012 में श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रत्यावेदन पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट् याचिका संख्या 72(एस0/बी0)/2012 में श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा भारत सरकार को निर्देशित किया गया है कि दाम्पत्य नीति के अनुसार श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता का उत्तराखण्ड राज्य आवंटन पर विचार किया जाए । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री बिष्ट की पत्नी उत्तराखण्ड में नियुक्त हैं तथा श्री बिष्ट दाम्पत्य नीति से आच्छादित हैं । अतः समिति द्वारा उनका राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किये जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता का राज्य पुनरावंटन दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Training, Lok Nayak Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग,46,बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून